खबर संक्षेप

पुलिस अधीक्षक से अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की शिकायत

कटनी। एनकेजे थाना क्षेत्र के ग्राम गुबराधरी में कथित अवैध कच्ची शराब के निर्माण और बिक्री की शिकायत लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में महिलाएं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचीं। महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर आरोप लगाया कि गांव के ही रहने वाले दो व्यक्ति कथित रूप से अवैध कच्ची शराब बनाई और बेची जा रही है। शिकायत में बताया गया कि ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर गाली-गलौज और महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है। साथ ही महिलाओं को धमकियां दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। महिलाओं के अनुसार, शराब के सेवन के बाद गांव में आए दिन विवाद, मारपीट और गाली-गलौज की घटनाएं होती हैं, जिससे ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल है। शिकायतकर्ता महिलाओं ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में एनकेजे थाने में भी आवेदन दिया गया था, लेकिन उनके अनुसार अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से मामले को गंभीरता से लेते हुए अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने तथा संबंधित लोगों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

सामूहिक विवाह का लाभ लेने 5 नवम्बर तक कर सकेंगे आवेदन

कटनी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना के तहत नगर पालिक निगम, कटनी द्वारा सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन 20 नवम्बर 2026 को नगर निगम परिसर में किया जाना निर्धारित है। निगम क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों से निर्धारित तिथि तक आवेदन जमा कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। योजना प्रभारी, नगर निगम कटनी ने बताया कि योजना अंतर्गत पात्रता हेतु कन्या तथा कन्या के अभिभावक का गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करना तथा उनका बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक हितग्राही नगर निगम कार्यालय की योजना शाखा से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों सहित 05 नवंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से आवेदन जमा करें। विवाह हेतु वर-वधु का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। वधु की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदन के साथ वर-वधु के आयु संबंधी प्रमाण पत्र, दोनों की समग्र आई.डी., समग्र आई.डी. में आधार नंबर E-kyc, वधु का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता, वर-वधु की संयुक्त फोटो, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर एवं निगम क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य किया गया है।

डेयरी संचालक पर जानलेवा हमला कर आरोपित हुआ फरार

कटनी। कोतवाली थाना अंतर्गत जालपा मंदिर रोड के पास 57 वर्षीय डेयरी संचालक किशोर तोमर पर हुए जानलेवा हमला करने वाले आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। बताया जाता है कि किशोर तोमर स्कूटी से जा रहे थे तभी रास्ते में आरोपित ने उन पर जान से मारने की नीयत से अचानक पत्थर से हमला कर दिया। इस हमले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी ने पत्थर मारकर वारदात को अंजाम दिया और मौके से चेन झपटकर फरार हो गया। पत्थर से हुए इस घातक हमले में किशोर तोमर के सिर के नीचे, गले, चेहरे और कान के पास गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत और जांच के आधार पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वारदात के बाद से ही आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस की टीमें उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।

नोटिस के बाद भी नियमों का पालन नहीं करने पर नगर निगम ने की कार्रवाई

नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, 2 मैरिज गार्डन सील

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी





नियमों को दरकिनार कर मनमाने तरीके से मैरिज गार्डनों का संचालन करने वालों के विरूद्ध निगम प्रशासन द्वारा सख्ती बरती गई है। मंगलवार को निगम प्रशासन की टीम द्वारा बालगंगाधर तिलक वार्ड स्थित कमलांचल मैरिज गार्डन तथा इंदिरा गांधी वार्ड स्थित चौरसिया मैरिज गार्डन को सील करने की कार्यवाही की गई। दोनों विवाह स्थल बिना आवश्यक पंजीयन एवं वैध अनुज्ञप्ति के संचालित किए जा रहे थे। निगम प्रशासन ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों मैरिज गार्डन के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।

कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड क्रमांक 01 के बालगंगाधर तिलक वार्ड स्थित कमलांचल मैरिज गार्डन एवं वार्ड क्रमांक 04 के इंदिरा गांधी वार्ड स्थित चौरसिया मैरिज गार्डन द्वारा निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के तहत आवश्यक पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं की गई थी। निगम प्रशासन द्वारा संबंधित संचालकों को पूर्व में नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विवाह स्थल का पंजीयन कराने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद निर्धारित समयावधि में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गईं। नोटिस की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी नियमों का पालन नहीं किए जाने पर निगम प्रशासन द्वारा मंगलवार को दोनों विवाह स्थलों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

संचालन पर लगाई रोक

श्री सिंह ने बताया कि आदर्श उपविधि 2020 (विवाह स्थल का पंजीयन, संचालन एवं उपभोग) के प्रावधानों के अनुसार विवाह स्थलों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीयन कराना तथा आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर निगम प्रशासन द्वारा कमलांचल मैरिज गार्डन एवं चौरसिया मैरिज गार्डन को सील कर उनके संचालन से रोकने की कार्रवाई की गई। सीलिंग के पश्चात दोनों स्थलों के व्यावसायिक संचालन एवं उपयोग पर रोक लगा दी गई है। निगम प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर में संचालित सभी विवाह स्थल निर्धारित वैधानिक प्रावधानों का पालन करें तथा आवश्यक अनुमति एवं पंजीयन के बिना उनका संचालन न हो।

अन्य मैरिज गार्डन भी जांच के दायरे में

नगर निगम प्रशासन द्वारा आगे भी इसी प्रकार शहर के अन्य मैरिज गार्डन एवं विवाह स्थलों की वैधानिक स्थिति की भी जांच की जाएगी। जांच के दौरान पंजीयन, अनुज्ञप्ति एवं निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं पाए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विवाह स्थलों का संचालन नियम सम्मत तरीके से सुनिश्चित करने के लिए निगरानी जारी रहेगी। संबंधित संचालकों से अपेक्षा की गई है कि वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त करें और सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें।

कार्यवाही के दौरान उपयंत्री पवन श्रीवास्तव सहित अतिक्रमण दल के अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी रही।

जालसाजों ने तीन लोगों को लाखों रूपये का लगाया चूना

कोतवाली, माधवनगर एवं कैमोर थाना क्षेत्रों में हुई धोखाधड़ी की घटनाएं

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी



कोतवाली, माधवनगर और कैमोर थाना क्षेत्रों में साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने तीनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर साइबर सेल की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना अंतर्गत रघुनाथगंज निवासी दीपक कुमार कनकने 56 वर्ष साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। अज्ञात शातिर ठग ने उनके बैंक खाते से सेंध लगाकर 1,05,000 रुपये की निकासी कर ली। जब पीड़ित को खाते से रकम कटने का मैसेज मिला तो उनके होश उड़ गए। मामले की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में ली है।

इसी तरह माधवनगर थाना क्षेत्र के बंगला लाइन निवासी सुरेश कुमार घनशानी 61 वर्ष ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए। बैंक खाता से जुड़े उनके मोबाइल पर किसी अज्ञात कॉलर या माध्यम से संपर्क कर कुल 37,282 रुपये की रकम धोखाधड़ी कर निकाल ली गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने माधवनगर थाने में मामला दर्ज कर लिया है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ठगों का सुराग लगाया जा रहा है।

कैमोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एसीसी कॉलोनी निवासी नीरज उपाध्याय 39 वर्ष भी साइबर जालसाजों की गिरफ्त में आ गए। अज्ञात आरोपियों ने धोखाधड़ी एवं बेईमानी पूर्वक उनके बैंक खाते से 62,677/- रुपये पार कर दिए। कैमोर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच की जा रही है कि यह रकम किस यूपीआई या ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर की गई है।

टिम्बर कारोबारी के कई ठिकानों में इनकम टैक्स की टीम ने दी दबिश

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी



टिम्बर कारोबारी चमनलाल आनंद तथा सतीश आनंद के कई ठिकानों में मंगलवार सुबह-सुबह आयकर विभाग की टीमों ने दबिश दी। जानकारी के अनुसार, इनकम टैक्स विभाग के दो दर्जन से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों का काफिला सुबह-सुबह अचानक आनंद बंधुओं के ठिकानों पर पहुंचा। अधिकारियों ने माधव नगर स्थित उनके दोनों लकड़ी टाल और आवास को पूरी तरह अपनी निगरानी में ले लिया। एक साथ कई ठिकानों पर हुई इस अचानक कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों और इलाके में सनसनी फैल गई।

प्रारंभिक सूचना के अनुसार यह पूरी कार्रवाई बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और अघोषित आय से जुड़ी बताई जा रही है। आयकर विभाग की टीमें टाल और घर के अंदर रखे वित्तीय दस्तावेजों, बही-खातों, कंप्यूटर डेटा और बैंक लेन-देन की गहनता से जांच-पड़ताल कर रही हैं। मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि जांच में किसी तरह की बाधा न आए। चमनलाल आनंद और सतीश आनंद कटनी की स्थानीय राजनीति में भी काफी सक्रिय माने जाते हैं। जैसे ही शहर में इन दोनों प्रतिष्ठित कारोबारियों के यहां आईटी रेड की खबर फैली, राजनीतिक और व्यापारिक जगत में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद ही टैक्स चोरी की सही रकम और अन्य बड़े खुलासे सामने आने की उम्मीद है।

दीपावली की रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे

कटनी। दीपावली पर वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कलेक्टर आशीष तिवारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों के क्रय-विक्रय, भंडारण, परिवहन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के अनुसार, ऐसे पटाखे जिनकी ध्वनि विस्फोट स्थल से चार मीटर की दूरी पर 125 डेसीबल (एआई) अथवा 145 डेसीबल (सी) पीक से अधिक है, प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड और स्ट्रॉन्शियम क्रोमेट जैसे हानिकारक पदार्थों से निर्मित पटाखों के उपयोग और बिक्री पर भी रोक रहेगी। पटाखों की ई-कॉमर्स कंपनियों और निजी व्यक्तियों के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री के साथ ही गैर लाइसेंसी विक्रय भी प्रतिबंधित रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षण संस्थान, न्यायालय और धार्मिक स्थलों सहित घोषित शांत क्षेत्रों के 100 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

अत्याधिक तेज रफ्तार में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई



नेशनल हाईवे में पिपरोध मार्ग पर यातायात पुलिस ने जबलपुर से कटनी की ओर आने वाले वाहनों की गति पर नजर रखी। मंगलवार को दोपहर के समय पिपरोध हाईवे मार्ग पर यातायात पुलिस ने आधुनिक स्पीड रडार मशीन की मदद से निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने वाले चालकों की पहचान की और यातायात नियमों के तहत चालानी व अन्य कार्रवाई की। यातायात थाना प्रभारी टीआई अनूप सिंह के निर्देशानुसार चलाए गए इस विशेष अभियान में आरआई अंजू लकड़ा, एसआई शशि भूषण दुबे, एएसआई अशोक सिंह, आरक्षक मंजय कुमार यादव, आरक्षक राजकुमार अहिरवार और आरक्षक दीपक सिंह की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रही। टीम ने स्पष्ट किया कि नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार न केवल वाहन चालक, बल्कि अन्य राहगीरों की जान के लिए भी बड़ा खतरा बनती है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे सफर के दौरान निर्धारित गति सीमा का कड़ाई से पालन करें, सड़क पर पूरी सतर्कता बरतें।

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनीं 146 आवेदकों की समस्याएं, अधिकारियों को दिये निराकरण के निर्देश

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी



कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर आशीष तिवारी ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 146 आवेदकों की समस्याएं गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन का तथ्यात्मक परीक्षण कर नियमानुसार एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान बरही निवासी अजय गुप्ता ने ग्राम बरहटा में पुरानी शासकीय स्कूल की इमारत पर अवैध कब्जे और सरकारी संपत्ति के निजी उपयोग की शिकायत की। ग्राम बिचुआ निवासी राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय ने खसरा क्रमांक 295 के ऑनलाइन राजस्व अभिलेख में नाम के स्थान पर गलत जाति दर्ज होने की शिकायत करते हुए अभिलेख में सुधार की मांग की।

निखिल सूर्यवंशी ने आधार कार्ड में जन्मतिथि की त्रुटि सुधार के लिए आवेदन दिया। ग्राम पंचायत सलैयाफाटक के पीएमश्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन बनाने वाली दो रसोइयों रेखा बाई सेन और माया बाई हल्दकार ने लंबित मानदेय की भुगतान कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। वहीं गनियारी निवासी किशनलाल चौधरी ने आजीविका के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु आवेदन दिया। ग्राम शिवराजपुर निवासी मुण्डा कोल ने पुरानी बही में दर्ज खसरा क्रमांक 19 के आधार पर अपना नाम वर्तमान राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने की मांग की।

जन कल्याणकारी योजनाओं एवं जागरूकता के संबंध में दी गई जानकारी

ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क के माध्यम से सामाजिक कार्यों को प्रभावी बनाने जोर

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी



बहोरीबंद की ग्राम पंचायत अमगंवा (मोहाई) में सेक्टर स्तरीय प्रस्फुटन समितियों का क्षमतावर्धन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य समितियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ ग्रामीण विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना रहा।

प्रशिक्षण के दौरान अरविंद शाह ने जन अभियान परिषद की कार्यप्रणाली, उद्देश्यों एवं योजनाओं की जानकारी देते हुए समितियों को आवश्यक दस्तावेजीकरण, एनजीओ पंजीयन प्रक्रिया, एमपीजीअफ एप के उपयोग तथा सोशल मीडिया के माध्यम से जनजागरूकता बढ़ाने के संबंध में मार्गदर्शन दिया।

परामर्शदाता रामसिंग पटेल ने संवाद कौशल एवं प्रभावी संचार तकनीकों की जानकारी देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क के माध्यम से सामाजिक कार्यों को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। प्रशिक्षण में स्वामित्व योजना, नल-जल योजना, बकरी पालन, मत्स्य पालन एवं आजीविका संवर्धन से जुड़े विषयों पर भी जानकारी दी गई। नवांकुर सखी संगीता लोधी एवं बेबी लोधी ने पशुपालन संबंधी जानकारी साझा की।

सरपंच आदित्य दुबे ने ग्रामीण विकास में जनभागीदारी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समितियों को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। वहीं, नवांकुर संस्था के सेक्टर प्रभारी मनोज रैदास ने संस्था एवं समितियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। आगामी कार्ययोजना के तहत जल संरक्षण, जनजागरूकता शिविरों के आयोजन तथा ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण के समापन पर प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। धनीराम ने अतिथियों, प्रशिक्षकों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में अमगंवा, पथ, पिपरिया, डिहुंटा, रामपाटन एवं पटना रोड की प्रस्फुटन समितियों के सदस्यों, नवांकुर सखियों तथा छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की।

इस अवसर पर संस्था के सचिव संदीप रैदास, परामर्शदाता सुरेंद्र चक्रवर्ती, रामजी पटेल मौजूद रहे।

मानसिक स्वास्थ्य और बाल विवाह रोकथाम पर जागरूकता कार्यक्रम

बाल विवाह की रोकथाम एवं प्रावधानों की दी जानकारी

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी



मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और बाल विवाह की रोकथाम के लिए कलेक्टर आशीष तिवारी के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मिशन शक्ति की हब फॉर इंपावरमेंट ऑफ वूमेन योजना के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल मझगवां, प्राथमिक शाला बरगवां और माध्यमिक शाला बिलहरी में जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अब्दुल गफ्फार ने बताया कि कार्यक्रमों में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई। इस दौरान मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने और समस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने पर चर्चा की गई। वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक श्रीमती शैली तिवारी ने टेली मानस हेल्पलाइन नंबर 14416 की जानकारी देते हुए मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्राप्त करने के बारे में बताया।

कार्यक्रम में दहेज जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का संदेश भी दिया गया। विद्यार्थियों को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों से अवगत कराया गया। साथ ही जिला विधिक सहायता अधिकारी, जो पदेन दहेज प्रतिषेध अधिकारी भी हैं, के संपर्क विवरण और दायित्वों की जानकारी दी गई।

सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती शैलजा पाण्डेय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा बाधित होती है और उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बाल विवाह की जानकारी मिलने पर टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना देने की अपील की गई।

साथ ही बताया गया कि सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं विभागीय अधिकारियों ने विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला आज

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार, 28 अक्टूबर को शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, झिंझरी में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला स्तरीय युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर आयोजित इस मेले में निजी क्षेत्र की 22 कंपनियों द्वारा 2534 पदों पर भर्ती की जायेगी।

मेले का आयोजन जिला रोजगार कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, शासकीय आईटीआई एवं शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय कटनी के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। मेले में जिले सहित प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की प्रतिष्ठित निजी कंपनियां एवं संस्थान शामिल होकर योग्य युवक-युवतियों को रोजगार, अप्रेंटिसशिप तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे।

आठवीं से स्नातक तक के अभ्यर्थी ले सकेंगे भाग

मेले में आठवीं, दसवीं, बारहवीं, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, स्नातक एवं अन्य शैक्षणिक योग्यता रखने वाले पात्र युवक-युवतियां अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। विभिन्न कंपनियों द्वारा पद के अनुसार अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल की आवश्यकता निर्धारित की गई है।

रोजगार के साथ ही युवाओं को अप्रेंटिसशिप के माध्यम से कौशल विकास एवं कार्यानुभव प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। वहीं स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं को स्वरोजगार संबंधी योजनाओं एवं संभावनाओं की जानकारी देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

मेले की प्रमुख विशेषता यह है कि निजी कंपनियों द्वारा सीधी भर्ती, अप्रेंटिसशिप के अवसर, स्थल पर पंजीयन एवं साक्षात्कार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विभिन्न सेक्टरों में रोजगार के साथ युवाओं को स्वरोजगार एवं कैरियर मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा।

प्रभारी जिला रोजगार अधिकारी एवं युवा संगम रोजगार मेला प्रभारी अनिल कुमार तिवारी ने पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर मेले में उपस्थित होकर रोजगार के अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। अभ्यर्थियों को मेले में अपने शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बायोडाटा/रिज्यूमे, पासपोर्ट साइज फोटो एवं अनुभव प्रमाण-पत्र (यदि हो) की छायाप्रति लाना आवश्यक होगा।

खबर संक्षेप



स्कूलों का निरीक्षण कर जानी समस्याएं, निराकरण के दिये निर्देश

कटनी। जिला पंचायत कटनी के उपाध्यक्ष एवं जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा ने विगत दिवस शहर में संचालित स्कूलों में पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों से बात भी की। श्री विश्वकर्मा ने साधूराम परिसर में संचालित हो रहे शासकीय उच्चतर कन्या माध्यमिक विद्यालय, सिविल लाइन की व्यवस्थाओं का अवलोकनकरते हुए यहां अध्ययनरत छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान छात्राओं ने विद्यालय से संबंधित विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि छात्राओं की समस्याओं का निराकरण कर, उनको बेहतर शैक्षणिक वातावरण एवं आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। छात्राओं का बेहतर भविष्य, अच्छी शिक्षा और सुविधाजनक विद्यालयीन वातावरण सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है।

स्वच्छता टीम ने 1500 रुपये का किया स्पॉट फाइन

कटनी। स्वच्छ एवं सुंदर कटनी के लक्ष्य को साकार करने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर में नियमित रूप से दो शिफ्ट में सफाई कराई जा रही है। वहीं, स्वच्छता व्यवस्था को बाधित करने तथा नियमों का उल्लंघन कर सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। निगम की स्वास्थ्य शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्वच्छता टीम ने जोन क्रमांक 6 अंतर्गत मिशन चौक में कार्रवाई करते हुए स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वाले 6 दुकानदारों पर कुल 1500 रुपये का स्पॉट फाइन किया। इस दौरान दुकानदारों को अपनी दुकानों में डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखने तथा कचरे का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, दोबारा गंदगी फैलाते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय स्वच्छता निरीक्षक एवं वार्ड दरोगा उपस्थित रहे। निगम प्रशासन ने दुकानदारों एवं नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थलों पर कचरा न फैलाएं, स्वच्छता नियमों का पालन करें और नगर को स्वच्छ बनाए रखने में निगम प्रशासन का सहयोग प्रदान करें।

खदान के पानी में उतराती मिली लाश



कटनी। रंगनाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बरगवां क्षेत्र की एक खदान में मंगलवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव पानी में उतराता हुआ मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पानी से बाहर निकालने की कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार बरगवां स्थित खदान के पानी में जब एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ दिखाई दिया तो स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। खबर लिखे जाने तक मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में मौजूद लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है ताकि मृतक की शिनाख्त की जा सके. इसके साथ ही पानी से शव को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए आवश्यक प्रयास भी किए गए। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मृतक कौन था और किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई। पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच करने में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई और मौत के वास्तविक कारणों के संबंध में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

लापरवाही पर पीडब्ल्यूडी अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधीक्षक को थमाया गया नोटिस

कलेक्टर ने अधिकारियों को दी सख्त हिदायतः योजनाओं एवं शिकायतों के निराकरण पर कोताही पर होगी कार्यवाही

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी



कलेक्टर आशीष तिवारी ने समय-सीमा बैठक में स्वामित्व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित शिकायतों के समयबद्ध निराकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत निर्धारित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें, ताकि पात्र ग्रामीणों को आबादी भूमि के अधिकार अभिलेखों का लाभ समय पर मिल सके। साथ ही, मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत 30 अक्टूबर को ढीमरखेड़ा में आयोजित होने वाले शिविर के लिए चयनित सीएम हेल्पलाइन एवं लोकसेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में जिला पंचायत की सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर और अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा उपस्थित रहे।

बिना तैयारी पहुंचने पर नाराजगी

बैठक में पूरी तैयारी के बिना उपस्थित होने पर कलेक्टर श्री तिवारी ने सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख चन्द्रभान सिंह के प्रति नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधीक्षक भू-अभिलेख मुन्नालाल तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में उदासीनता बरतने पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के उपस्थित अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

लंबित शिकायतों का समय-सीमा में करें निराकरण

कलेक्टर ने सभी विभागों में लंबे समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने विभाग की लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा करें और शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का संतुष्टिपूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें।

महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना, तीन से छह वर्ष तक के बच्चों के पंजीयन, पोषण पुनर्वास केंद्रों में बच्चों की स्थिति तथा पोषण ट्रैकर में चिन्हित सैम एवं मैम बच्चों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित परियोजना अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने तथा योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े निर्धारित मानकों में अपेक्षित सुधार लाने को कहा।

प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई के निर्देश

कलेक्टर ने नगर निगम, जिला पंचायत, एसडीएम एवं तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, मानवाधिकार आयोग, बाल संरक्षण आयोग, लोकायुक्त और सीएम मॉनिट से संबंधित प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। न्यायालयीन प्रकरणों में समय पर जवाब-दावा प्रस्तुत करने पर भी जोर दिया।

लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरे करें

बैठक में उद्योग, पिछड़ा वर्ग, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी सहित विभिन्न विभागों की स्वरोजगार योजनाओं के लंबित और स्वीकृत प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्वीकृत प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरी करने तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा

कलेक्टर श्री तिवारी ने 28 अक्टूबर को कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित होने वाले बलराम महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आयोजन की सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने तथा कृषि एवं संबद्ध विभागों को अपनी योजनाओं, उपलब्धियों और कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी स्टॉल लगाने के निर्देश दिए।

बैठक में समस्त एसडीएम, सिविल सर्जन डॉ. यशवंत वर्मा, सीएमएचओ डॉ. राजसिंह ठाकुर, उपसंचालक खनिज रत्नेश दीक्षित, सहायक संचालक शिक्षा राजेश अग्रहरि, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विमल चौरसिया, सहायक संचालक मत्स्योद्योग आशीष नायक, जिला पंजीयक पंकज कोरी मौजूद रहे।

कार्बाइड गन की बिक्री और प्रदर्शन पर प्रतिबंध

कटनी। दीपावली के त्यौहार के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत जिले में अवैध कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जारी आदेश के अनुसार, दीपावली के दौरान लोहे, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाली अवैध कार्बाइड गन तैयार कर बेचे जाने की आशंका रहती है। इन गनों में उपयोग किया जाने वाला कैल्शियम कार्बाइड आंखों और चेहरे को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा होने की संभावना को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा व्यापारी द्वारा प्रतिबंधित पटाखों, आतिशबाजी तथा लोहे, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाली अवैध कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों के सूचना पटल पर आदेश प्रदर्शित कर जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।

महापौर ने जन सुनवाई में पहुंचे नागरिकों की सुनी समस्याएं

जनसमस्याओं के निराकरण में जवाबदेही तय, कार्रवाई कर आवेदकों को दें जानकारी

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी



नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं स्थायी निराकरण के उद्देश्य से 27 अक्टूबर मंगलवार को नगर पालिक निगम कटनी में महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनसुनवाई आयोजित की गई। महापौर ने जनसुनवाई को केवल आवेदन प्राप्त करने की औपचारिक प्रक्रिया तक सीमित न रखते हुए, शिकायतों के वास्तविक समाधान पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नागरिकों की समस्याओं का निराकरण केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि संबंधित समस्या का स्थायी समाधान धरातल पर दिखाई देना चाहिए, ताकि आवेदकों को वास्तविक राहत मिल सके।

जनसुनवाई के दौरान पेयजल, ड्रेनेज, लोक निर्माण एवं आवास योजना सहित विभिन्न विभागों से संबंधित नागरिकों के प्रकरण हुए। महापौर श्रीमती संजीव सूरी ने एक एक प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर समस्याओं की वस्तुस्थिति की जानकारी ली तथा निर्देशित किया कि जिन मामलों का निराकरण मौके पर संभव है, उनका तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए। वहीं, जिन प्रकरणों में विस्तृत कार्यवाही आवश्यक है, उनमें समय-सीमा के अंदर कार्रवाई करते हुए आवेदकों को राहत प्रदान की जाए।

महापौर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर देते हुए कहा कि जनसमस्याओं के निराकरण में अनावश्यक विलंब न करते हुए नागरिकों की शिकायतों पर गंभीरता से कार्यवाही की जाए। उन्होंने पिछली जनसुनवाई में प्राप्त लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से प्रत्येक आवेदन की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि लंबित मामलों पर गंभीरता से कार्यवाही की जाए और निर्धारित समय-सीमा में उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि आवेदकों को उनके आवेदन पर की गई कार्यवाही और उसकी वर्तमान स्थिति से भी अवगत कराया जाए, ताकि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार निगम कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।

विद्यार्थियों को प्राचीन कृषि पद्धति का दिया प्रशिक्षण



शासकीय महाविद्यालय विजयराघवगढ़ में विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने तथा कृषि को लाभ का धंधा बनाने के उद्देश्य से जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्राचार्य डॉ. अरुण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जैविक कृषि विशेषज्ञ रामसुख दुबे विद्यार्थियों को जीरो बजट फार्मिंग एवं कम लागत वाली कृषि तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को होमां खेती एवं अग्निहोत्र के निर्माण और फसलों में उसके उपयोग की तकनीकी जानकारी दी गई। विशेषज्ञ श्री दुबे ने बताया कि होमां खेती एक प्राचीन कृषि पद्धति है, जो अग्निहोत्र की वैदिक परंपरा पर आधारित है। इसमें अग्निहोत्र से प्राप्त राख का उपयोग मिट्टी एवं फसलों के लिए किया जाता है। इस पद्धति में अग्निहोत्र की राख को बीज उपचार, जैविक खाद तथा कीट प्रबंधन में उपयोग करने की जानकारी दी गई। साथ ही अग्निहोत्र भस्म के भंडारण में उपयोग के बारे में भी बताया गया। उन्होंने अग्निहोत्र के लिए आवश्यक सामग्री, तांबे अथवा मिट्टी के विशिष्ट आकार के पात्र, गाय के गोबर के कंडे, गाय के घी और बिना टूटे चावलों के उपयोग की प्रक्रिया समझाई। विद्यार्थियों को सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय निर्धारित मंत्रों के साथ अग्निहोत्र करने की विधि की जानकारी भी दी गई।

मारपीट करने वाले 6 आरोपितों को भेजा जेल

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी



कोतवाली थाना की बस स्टैंड चौकी क्षेत्र स्थित हरिजन बस्ती में पुरानी रंजिश को लेकर एक घर पर पत्थरबाजी, घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 22 अक्टूबर 2026 की रात करीब 11:30 बजे की है। हरिजन बस्ती, बस स्टैंड कटनी निवासी फरियादी आशु बर्मन अपने घर पर मौजूद थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर पुट्टू उर्फ समीर डुमार अपने अन्य साथियों के साथ फरियादी के घर के बाहर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा।फरियादी द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने घर के बाहर पड़े पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में फरियादी आशु बर्मन और उनकी भाभी प्रिंसी घायल हो गए। इसके बाद सभी आरोपी जबरन घर के अंदर घुस गए और फरियादी की दूसरी भाभी नम्रता के पेट में लात मारकर मारपीट की। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य और एसडीओपी (अजाक) अनिमेष द्विवेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक राखी पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दबिश देकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों में अविनाश चुहटेल 32 वर्ष, अंशु चुहटेल उर्फ डोमार 28 वर्ष, ऋतिक डुमार उर्फ रुस्तम वाल्मीकि 27 वर्ष, पुट्टू उर्फ समीर डुमार 20 वर्ष, शिब्बू उर्फ करन वाल्मीकि 29 वर्ष एवं ओमकार डुमार 46 वर्ष शामिल हैं।

चार प्रकार के कचरे के पृथकीकरण एवं प्रबंधन की दी जानकारी

घर-घर पहुंच रही निगम की टीम, लोगों को सिखाया जा रहा कचरा प्रबंधन के गुर

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी



स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के अंतर्गत कटनी को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहर बनाने के उद्देश्य से नगर पालिक निगम द्वारा स्वच्छता जागरूकता गतिविधियों को निरंतर गति दी जा रही है। इसी क्रम में निगम की सहयोगी संस्था ओम साईं विजन की आईईसी टीम द्वारा प्रतिदिन विभिन्न वार्डों में घर-घर पहुंचकर नागरिकों को कचरा पृथक्करण, डस्टबिन के उचित उपयोग और स्वच्छता संबंधी आदतों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को केवल सफाई तक सीमित न रखते हुए नागरिकों की दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाना और जनभागीदारी के माध्यम से शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना है।

वार्ड क्रमांक 34 स्थित छपरवाह विश्वकर्मा मोहल्ले में विशेष होम विजिट ड्राइव का आयोजन किया गया। इस दौरान आईईसी टीम ने रहवासियों से सीधे संवाद कर घरों से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में रखने और उसके उचित प्रबंधन की जानकारी दी। नागरिकों को बताया गया कि कचरे को घर से ही पृथक रखने की आदत अपनाने से उसके संग्रहण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है।

टीम ने रहवासियों को समझाया कि स्वच्छता की शुरुआत घर से होती है और प्रत्येक परिवार की छोटी-सी पहल पूरे मोहल्ले की स्वच्छता में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। घरों में कचरे को मिलाकर रखने के बजाय अलग-अलग श्रेणियों में संग्रहित करने तथा निर्धारित कचरा संग्रहण व्यवस्था का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। होम विजिट ड्राइव के दौरान नागरिकों को चार प्रकार के कचरे को अलग-अलग रखने के महत्व से अवगत कराया गया। टीम ने गीले, सूखे, सैनिटरी और विशेष देखभाल वाले कचरे के उचित प्रबंधन की जानकारी देते हुए बताया कि इन श्रेणियों को अलग रखने से कचरे का सुरक्षित निस्तारण और पुनर्चक्रण आसान होता है।नागरिकों को निर्धारित डस्टबिन एवं स्थानीय कचरा संग्रहण व्यवस्था के अनुसार कचरे को पृथक रखने के लिए प्रेरित किया गया। टीम ने बताया कि स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण होने से मिश्रित कचरे की मात्रा कम करने और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

सिलौड़ी में हो रहा कथा का आयोजन, उमड़ रहे श्रद्धालु

श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की सुनाई कथा

हरिभूमि न्यूज ⏭ सिलौड़ी



सिलौंडी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक दिनेश मिश्रा ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा को सुनाया मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। उनके पुत्र कंस ने अपने पिता को कारागार में डालकर खुद राजगद्दी हथिया ली।कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई - रहे कंस! जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की आठवीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी।ऱ्यह सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक-एक करके देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया।

7वीं संतान के रूप में बलराम जी का रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराया गया।और फिर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को, जब चारों ओर घोर अंधेरा था, तब कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ।जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। वसुदेव जी ने देखा - चतुर्भुज रूप में भगवान शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हैं।भगवान ने कहा - रहे वसुदेव, मुझे तुरंत गोकुल में नंद बाबा के घर पहुँचा दो, वहाँ अभी-अभी यशोदा को एक कन्या ने जन्म लिया है, मुझे वहाँ छोड़कर उस कन्या को यहाँ ले आओ। चमत्कार हुआ - कारागार के सारे ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, यमुना जी ने रास्ता दे दिया। वसुदेव जी टोकरी में बालकृष्ण को लेकर गोकुल पहुँचे। यशोदा मैया गहरी नींद में थीं। वसुदेव जी ने बालकृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर वापस मथुरा कारागार में आ गए।उधर गोकुल में जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, नंद बाबा के घर आनंद ही आनंद छा गया। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। के भजनों से मन मोह लिया ।

किया गया सम्मान

इस दौरान नेहा सोनी, स्मिता सोनी, शिवा सोनी, गोविंद सोनी के साथ पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष कटनी डॉक्टर सुशील राय, सिलौंडी सरपंच पंचों संतोष कुमार ने कथावाचक का सम्मान किया । कथा में पूजन अर्चन पंडित अंकित शास्त्री सिलौंडी विधि विधान से करा रहे है। इस दौरान ग्राम के अर्जुन दहिया , शिवकुमार राय राम कुमार साहू , हेमंत राय ,कोठी राम साहू सहित बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही ।

बालक के साथ मारपीट

कटनी। बाकल थाना क्षेत्र में बच्चे के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बीच-बचाव करने पहुंचे परिजनों के साथ भी आरोपी द्वारा गाली-गलौज और धमकी देने की बात सामने आई है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस के अनुसार बाकल निवासी संतोष लोधी 45 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके बेटे दीपक लोधी को आरोपी अविनाश लोधी पीटते हुए अपने घर ले गया है। पूछताछ करने पर दीपक ने बताया कि अविनाश ने उसके साथ मारपीट की है। जब पिता ने इसका कारण पूछा तो आरोपी भड़क गया और गालियां देते हुए धमकाने लगा। घटनास्थल पर मौजूद ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया। मारपीट के कारण पीड़ित बच्चे की पीठ और दाहिने पैर के पंजे में गंभीर चोटें आई हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

नशे में वाहन चलाने पर कार्यवाही, ठोंका जुर्माना

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मिशन चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान शराब के नशे में मोटरसाइकिल चलाते मिले दो चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई। वहीं, अत्यधिक गति से चार पहिया वाहन चलाने वाले सात चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 7,000 रुपये समन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस के अनुसार, चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 21 जेडएच 4490 के चालक संदीप कोल (27 वर्ष) तथा मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 21 एम 9949 के चालक प्रमोद गाडरी (26 वर्ष), निवासी सलीमनाबाद, के विरुद्ध शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में कार्रवाई की गई। दोनों वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई। पुलिस के मुताबिक, जांच में शराब का सेवन कर वाहन चलाने की पुष्टि होने पर दोनों के खिलाफ धारा 185 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई तथा मोटरसाइकिलों को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा, निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में कार चलाने वाले सात वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इन चालकों से कुल 7,000 रुपये समन शुल्क वसूल किया गया।

त्योहार से पहले अधूरा काम छोड़ने से बढ़ी परेशानी, दुकानदारों ने तत्काल निर्माण पूरा कराने की मांग की

सड़क चौड़ीकरण के लिए खोदकर छोड़ा मार्ग धूल-डस्ट से परेशान व्यापारी और राहगीर



हरिभूमि न्यूज ⏭ तेंदूखेड़ा

नगर परिषद तेंदूखेड़ा द्वारा नगर के प्रमुख मार्ग जबलपुर रोड से संदीपनी विद्यालय तक लगभग एक किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क के चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है वर्तमान में करीब 12 फीट चौड़ी सड़क को दोनों ओर बढ़ाकर लगभग 20 फीट किए जाने की योजना है इसी क्रम में शुक्रवार-शनिवार को सड़क के एक हिस्से की खुदाई की गई, लेकिन इसके बाद कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने से स्थानीय लोगों और दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई है। सड़क की खुदाई के बाद मार्ग के कुछ हिस्सों में डस्ट और गिट्टी डाल दी गई है, जबकि कई जगह रास्ता खुदा पड़ा है। वाहनों के आवागमन से लगातार धूल उड़ रही है, जिससे दुकानदारों, राहगीरों और निवासियों को परेशानी हो रही है दीपावली नजदीक होने से बाजार में आवाजाही बढ़ गई है, ऐसे में अधूरी खुदाई और धूल के कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है।

जल्द हो निर्माण कार्य, लोगों को मिले सुविधा

स्थानीय दुकानदार रत्नेश जैन, सोनू राय, प्रियांशु जैन, डॉ. प्रदीप सिंह और शोएब खान ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण आवश्यक है इससे भविष्य में सुविधा मिलेगी, लेकिन काम शुरू कर लंबे समय तक अधूरा छोड़ना उचित नहीं है यदि काम करना है तो तत्काल पूरा किया जाए, ताकि लोगों को परेशानी न हो यदि तत्काल पूरा नहीं करना था तो त्योहार के ठीक पहले मार्ग को खोदकर नहीं छोड़ना चाहिए था धूल से दुकानों और ग्राहकों दोनों को परेशानी हो रही है त्योहार पर व्यापार प्रभावित होने से दुकानदारों में नाराजगी है उन्होंने नगर परिषद से निर्माण में तेजी लाने की मांग की है।

जाम से वार्डवासी परेशान, हादसे का अंदेशा

सड़क चौड़ीकरण के कारण दिनभर जाम लग रहा है। ठेकेदार द्वारा सड़क के एक साइड में खुदाई कर नाले जैसा गड्ढा छोड़ दिया गया है। इस मार्ग पर सबसे ज्यादा जाम लग रहा है, जिससे बाइक सवार और पैदल यात्री घंटों फंसे रहते हैं इन दिनों धान कटाई का सीजन होने से मार्ग पर हार्वेस्टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली और मंडी जाने वाले लोड ट्रकों की आवाजाही बढ़ गई है। सोमवार शाम करीब 7 बजे जनपद मार्ग पर दो हार्वेस्टर आमने-सामने आ जाने से आधे घंटे तक जाम लगा रहा। बाद में एक हार्वेस्टर को खुदी हुई साइड से निकालकर रास्ता खोला गया।

जल्द हो सड़क चौड़ीकरण कार्य

लोगों का कहना है कि यह नगर का सबसे व्यस्त मार्ग है इस पर दर्जन भर से ज्यादा सरकारी दफ्तर, स्कूल, छात्रावास, कॉलेज, जनपद कार्यालय और कृषि मंडी संचालित हैं और यह मार्ग एक दर्जन गांवों को जोड़ता है। ठेकेदार द्वारा समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाए, नहीं तो किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

ठेकेदार को दी हिदायत

इस संबंध में नगर परिषद के उपयंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि संबंधित ठेकेदार को निर्माण में तेजी लाने की हिदायत दी जा रही है। जल्द ही कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

डाइट की पांच दिवसीय शोध कार्यशाला संपन्न



हटा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हटा में जिले के समस्त विकासखंड से एक-एक प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक एक-एक जनशिक्षक, बीएससी एक एपीसी एवं दो डाइट फैकेल्टी के लिए क्रियात्मक शोध पर कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें प्राचार्य एसके नेमा ने क्रियात्मक अनुसंधान की उपयोगिता पर चर्चा करते हुए इसे पूरी संवेदनशीलता के साथ संपादित करने के लिए निर्देशित किया।सहायक प्राध्यापक आर पी विश्वकर्मा ने क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व और आवश्यकता पर बल देते हुए आवश्यक सुझाव दिए। जिला शोध प्रभारी एवं कार्यशाला के समन्वयक अरुण पटेल ने क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए केस स्टडी से इसकी भिन्नता से सभी को अवगत कराया जिला विज्ञान प्रभारी माधव पटेल ने क्रियात्मक अनुसंधान के सभी चरणों को विस्तार से समझाते हुए शोध प्रस्ताव तैयार करवाए प्रशिक्षण प्रभारी विजय बहादुर सिंह ने क्रियात्मक अनुसंधान की भिन्नता एवं विद्यालय के अनुरूप उसके चुनाव पर चर्चा की, ईसीसी प्रभारी उमा सोनकिया,उच्च माध्यमिक शिक्षक कमलेश प्यासी, पुस्तकालय प्रभारी गोविंद सोनी ने सभी प्रतिभागियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। कार्यशाला में दिनेश प्यासी, हारुन खान,शिवराज चौधरी,गणेश पटेल,श्रीकांत पटेल,बृजेश सेन सहित सभी प्रतिभागियों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए।

जनसुनवाई में 224 आवेदनों पर हुई सुनवाई

दमोह। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 10 (व्यारमा) में आयोजित जनसुनवाई में जिले के दूरदराज क्षेत्रों से आये आवेदकों की समस्याओं को सुना। इस दौरान सामान्य जनसुनवाई में 224 आवेदनों पर सुनवाई करते हुये संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये। जनसुनवाई में 40 आधार अपडेशन एवं 152 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही जनसुनवाई के दौरान कुछ सामूहिक आवदेन भी दिए गए। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत प्रवीण फुलपगारे, अपर कलेक्टर राकेश मोहन त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर ब्रजेश सिंह, डिप्टी कलेक्टर रचना प्रजापति, डिप्टी रानी अहिरवार, लोकसेवा प्रबंधक चक्रेश पटेल सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

घर के पास टहल रहे वृद्ध को बाइक सवार ने मारी टक्कर

सड़क चौड़ीकरण और अव्यवस्थित यातायात के बीच बढ़ रहे हादसे



तेंदूखेड़ा। नगर के वार्ड क्रमांक 9 में सोमवार रात करीब 9 बजे घर के सामने टहल रहे 62 वर्षीय कन्हई पिता धनराज यादव को तेज रफ्तार बाइक सवार ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदूखेड़ा पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जानकारी के अनुसार कन्हई यादव खाना खाने के बाद अपने घर के सामने टहल रहे थे। इसी दौरान जनपद कार्यालय की ओर से तेज रफ्तार में आ रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वृद्ध सड़क पर सिर के बल गिर गए, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं परिजनों के अनुसार घायल को जबलपुर के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में ऑक्सीजन पर रखा गया है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि वृद्ध को टक्कर मारने वाला बाइक सवार पटवारी है और घटना के समय कथित रूप से शराब के नशे में था। हालांकि इस संबंध में पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना के वास्तविक कारणों और बाइक चालक की स्थिति की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। सड़क किनारे बैठे मवेशी, निर्माण सामग्री, बेतरतीब खड़े वाहन और संकरी सड़क के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। वर्तमान में सड़क चौड़ीकरण का कार्य भी चल रहा है, जिससे कई स्थानों पर जाम जैसे हालात बन रहे हैं। लोगों ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने, निर्माण सामग्री व्यवस्थित कराने और तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई की मांग की ।

चैक अनादरण प्रकरणों की विशेष लोक अदालत का आयोजन 21 नवम्बर को

दमोह। म.प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुभाष सोलंकी के मार्गदर्शन में 21 नवम्बर 2026 को धारा 138 नेगोशियेबल इन्सट्रमेन्ट एक्ट (चैक अनादरण) के अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तहसील स्तर पर किया जा रहा है उक्त विशेष लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित बैंक अनादरण प्रकरण एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरण भी रखे जावेगें। व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/ सचिव उषाकांता कृषाण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि चैक अनादरण की विशेष लोक अदालत हेतु प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संतोष गुप्ता को समस्त गतिविधियों का समन्वय, पर्यवेक्षण एवं निगरानी हेतु जिला समन्वयक नियुक्त किया गया है विशेष लोक अदालत हेतु न्यायालयों में लंबित चैक अनादरण के प्रकरणों में न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षकारों को सूचना पत्र जारी कर पक्षकारों से विशेष लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण हेतु प्रयास किये जाकर उनकी राहगति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने बताया कि म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर इस विशेष लोक अदालत का आयोजन अवकाश दिवस में किया जा रहा है इस हेतु जिला एवं तहसील स्तर पर विशेष खण्डपीठो का गठन किया जावेगा। साथ ही आपने बताया कि विशेष लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होने वाले प्रकरणों में लगाये गये न्याय शुल्क की वापिसी होगी एवं दीर्घ कालीन कानूनी प्रक्रिया से भी पक्षकारों को निजात मिलेगी। आपने सभी पक्षकारों से विशेष लोक अदालत 21 नवम्बर में प्रकरणों में निराकरण किये जाने की अपील की है।

जन विश्वास अभियान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगीः कलेक्टर यादव

दमोह। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के क्रियान्वयन में लापरवाही पर कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों को अभियान की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और जनसंवाद एवं उद्यम संवाद कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि 21 अक्टूबर को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने अभियान के दौरान अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि अभियान के तहत आयोजित शिविरों में अधिकारियों की सहभागिता संतोषजनक नहीं मिलने के साथ ही जनसंवाद एवं उद्यम संवाद कार्यक्रमों में भी कुछ जिला अधिकारियों की अनुपस्थिति सामने आई है। इससे जिला प्रशासन की छवि प्रभावित होती है।
उन्होंने सभी अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का शत-प्रतिशत निर्वहन करने, कार्यक्रमों में उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा आमजन की समस्याओं का प्रभावी निराकरण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंच सके। कलेक्टर यादव ने स्पष्ट किया कि भविष्य में अभियान के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

बाजार में खूब बिक रहा सीताफल



दमोहा। मौसम में बदलाव के साथ ही बाजार में सर्दियों के मौसमी फलों की रौनक बढ़ने लगी है। इन्हीं में शामिल सीताफल की आवक हटा के बाजार में शुरू हो गई है। शहर के बड़ा बाजार और चौक-चौराहों पर विक्रेता ताजे सीताफल लेकर पहुंच रहे हैं। फिलहाल अलग-अलग स्थानों पर इसकी कीमत भी अलग-अलग बताई जा रही है। स्वाद में मीठा और गूदेदार होने के कारण लोग इसे पसंद कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से आवक बढ़ने के साथ ही आने वाले दिनों में कीमतों में गिरावट की उम्मीद भी जताई जा रही है। हटा मुख्यालय के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सीताफल की फसल तैयार होने लगी है। ग्राम भिलोनी से सीताफल बेचने पहुंचे रामप्रसाद के अनुसार, इस वर्ष मौसम अनुकूल रहने से अच्छी पैदावार की उम्मीद है। फसल की आवक बढ़ने पर बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतें कम हो सकती हैं। यहां के पहाड़ी इलाकों में तैयार होने वाले सीताफल की मांग हटा के अलावा क्षेत्र भर में पहुंच रहा है। हटा नगर व चौराहों पर रोजाना भारी मात्रा में सीताफल पहुंच रहा है।

पोषक तत्वों से भरपूर है सीताफल

डाइटिशियन डॉक्टर के अनुसार सीताफल स्वादिष्ट होने के साथ पोषक तत्वों से भी भरपूर फल है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। संतुलित मात्रा में इसका सेवन शरीर को ऊर्जा देने और पाचन को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखने में सहायक होता है। हालांकि, मधुमेह से पीड़ित लोगों को इसकी मात्रा का ध्यान रखना चाहिए और अपनी खानपान संबंधी जरूरतों के अनुसार इसका सेवन करना चाहिए। मौसमी फल होने के कारण सीताफल को संतुलित आहार में शामिल किया जा सकता है।

बांस काटने जा रहे युवक पर लाठी से हमला

तेंदूखेड़ा। थाना क्षेत्र के महगुवां कला गांव में कहासुनी के बाद एक युवक पर लाठी से हमला कर उसे घायल करने का मामला सामने आया है। घायल को डायल 112 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदूखेड़ा पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार किया गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार, बलदेव बंसकार (32), पिता डबल बंसकार, निवासी महगुवां कला, अपने साथी रामजी यादव के साथ बांस काटने सेलवाड़ा जा रहा था। इसी दौरान गांव से करीब दो किलोमीटर दूर पटपरा के पास रास्ते में उसकी बृजेश गोंड से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर गाली-गलौज शुरू हो गई और आरोप है कि बृजेश गोंड ने बलदेव के सिर पर लाठी से प्रहार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया।घटना के समय मौजूद रामजी यादव ने तत्काल डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदूखेड़ा लाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया। चिकित्सक के अनुसार, बलदेव की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बुंदेली विरासत से रूबरू हुए नौनिहाल



'बुंदेली विरासत–अपनी संस्कृति, अपनी पहचान' के तहत आयोजित हुई प्रतियोगिता

दमोह। दमोह केयर फाउंडेशन समिति द्वारा 'बुंदेली विरासत–अपनी संस्कृति, अपनी पहचान' अभियान के अंतर्गत नृसिंह वार्ड स्थित ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों को बुंदेली भाषा, लोककला, लोकगीत, लोकनृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के माध्यम से स्थानीय विरासत एवं संस्कृति से परिचित कराना था। कार्यक्रम में नन्हे-मुन्ने बच्चों ने उत्साह और उमंग के साथ बुंदेली लोकगीत एवं भजन प्रतियोगिता में भाग लिया। विद्यार्थियों ने 'ऐसी माटी है भारत के खंड-खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में', 'जब जिंद पर आ पार्वती' और 'आगड़ दम, बांगड़ दम' जैसे लोकगीत प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दमोह केयर फाउंडेशन समिति की अध्यक्ष श्रीमती नर्मदा सिंह एकता उपस्थित रहीं। उन्होंने बुंदेली संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बुंदेली संस्कृति ही हमारी पहचान है। इस पहचान को बनाए रखना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्या प्रतिभा सिंह, शिक्षिका आकांक्षा विश्वकर्मा सहित वार्ड के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

एसपी कार्यालय में हुई जनसुनवाई



दमोह। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी (आईपीएस) के निर्देशन में जनसुनवाई शिविर आयोजित किया गया। इसमें दमोह शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आवेदक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। शिविर में लगभग 85 शिकायतें एवं आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त शिकायतों में आपसी विवाद, जमीन संबंधी मामले, साइबर धोखाधड़ी और अन्य पुलिस कार्रवाई से जुड़े प्रकरण शामिल रहे।
जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया एवं उप पुलिस अधीक्षक सौरभ त्रिपाठी ने आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने आवेदनों का अवलोकन कर संबंधित थाना प्रभारियों एवं राजपत्रित अधिकारियों को शिकायतों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कर त्वरित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि शिकायतों के निराकरण के बाद पालन प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेजें, ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अजयगढ़ के भापतपुर कुर्मियान में नहीं मिला जमीन का हक, प्रशासनिक लापरवाही से पीड़ित परेशान'

पन्ना। जिले की अजयगढ़ तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम भापतपुर कुर्मियान में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) से दशकों पुराने जमीन विवाद का निपटारा होने के बावजूद, पीड़ित भू-स्वामी को अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर वास्तविक कब्जा नहीं मिल सका है। प्रशासनिक उदासीनता के चलते पीड़ित परिवार आज भी अपनी ही जमीन के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। **3 अराजी नंबरों की कुल 0.5800 हेक्टेयर जमीन का है मामला**- प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम भापतपुर कुर्मियान निवासी आवेदक लक्ष्मण प्रसाद पिता धनी राम के नाम पर सरकारी दस्तावेजों में अराजी नम्बर 702 (रकवा 0.2800 हेक्टेयर), अराजी नम्बर 716 (रकवा 0.2000 हेक्टेयर) एवं अराजी नम्बर 719 (रकवा 0.1000 हेक्टेयर) दर्ज है। इस तरह कुल किता 3, कुल रकवा 0.5800 हेक्टेयर की इस कीमती जमीन को लेकर श्शांति बनाम लक्ष्मण व अन्यश् (याचिका संख्या 12431/2009) का विवाद वर्षों से न्यायालय में चल रहा था।
सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज, फिर भी दबंगों का कब्जा-यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और माननीय न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए विपक्ष की विशेष अनुमति याचिका (स्ल) को खारिज कर दिया।

30 अक्टूबर को पटेरा विकासखंड की ग्राम पंचायत कुम्हारी में लगेगा शिविर

दमोह। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026 के अंतर्गत आगामी शुक्रवार 30 अक्टूबर 2026 को दमोह जिले के पटेरा विकासखंड की ग्राम पंचायत कुम्हारी में जन विश्वास शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में सम्मिलित क्षेत्र की 27 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने, पात्र हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभियान का उद्देश्य शासन और आमजन के बीच विश्वास को मजबूत करना, शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना तथा ग्रामीणों को शासकीय सेवाएं सहज, सरल एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है। शिविर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विकास कार्यों एवं शासकीय योजनाओं की जमीनी स्थिति पर भी ध्यान दिया जाएगा। पटेरा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुम्हारी में आयोजित होने वाले शिविर में बेलखेड़ी, वमनी, बर्रट, बिलंगुवा, देवरीरतन, धनगुवां, गाड़ाघाट, हिनौती, इमलिया, जमुनिया, खमरिया, कुलुवा, कुम्हारी, मझगुवांहसराज, मझौली, पटनाकुम्हारी, पटेरिया, सगोनी, सलैया, मुआरी, नयागांव, रमगढा, सिंगपुर, कोटा, राजाबंदी, लुहारी एवं शिकरपुरा ग्राम पंचायतें सम्मिलित रहेंगी। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान, पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने तथा शासकीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा। अभियान के माध्यम से प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे और ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

वार्ड 11 की पार्षद इंदु मालवीय ने एसडीएम से लगाई गुहार, वार्ड 9 में भी समय निर्धारित करने की मांग....

तेंदूखेड़ा के दो वार्डों में पेयजल संकट, कहीं दूषित पानी तो कहीं रात में सप्लाई

हरिभूमि न्यूज ⏭ तेंदूखेड़ा

नगर परिषद तेंदूखेड़ा के वार्ड क्रमांक 11 और 9 में पेयजल व्यवस्था को लेकर नागरिक परेशान हैं। वार्ड 11 में क्षतिग्रस्त पाइपलाइन के कारण पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, वहीं दूषित पानी आने की शिकायतें भी सामने आई हैं। दूसरी ओर वार्ड 9 में पिछले 12 माह से रात के समय अनियमित जलापूर्ति किए जाने से लोग परेशान हैं। समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर वार्डवासियों में आक्रोश है। वार्ड क्रमांक 11 की पार्षद इंदु मालवीय ने सोमवार को एसडीएम तेंदूखेड़ा सीजी गोस्वामी को लिखित पत्र सौंपकर पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की। पार्षद ने बताया कि उन्होंने 22 सितंबर को जनसुनवाई में भी आवेदन दिया था, लेकिन एक माह से अधिक समय बीतने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उनके अनुसार, नगर परिषद की जीआई पाइपलाइन कई स्थानों पर फूटकर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहीं नर्मदा परियोजना की पाइपलाइन भी आए दिन खराब होती रहती है। इसके चलते कहीं सड़क पर पानी बहता रहता है तो कहीं घरों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। वार्डवासी तिलक राज अहिरवार, उज्जवल विश्वकर्मा, राजेंद्र जैन, सुनील जैन और बसंत जैन सहित अन्य लोगों ने बताया कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन के कारण कई बार नलों से मिट्टी मिला गंदा पानी आता है। इससे बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बाद नगर परिषद द्वारा अस्थायी सुधार तो किया जाता है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा। वार्ड में शिक्षक कॉलोनी, इंडियन पब्लिक स्कूल (आईपीएस) के आसपास, श्री विश्वकर्मा मंदिर के पीछे और प्रकाश साहू के मकान के आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की समस्या अधिक गंभीर है। पार्षद इंदु मालवीय ने प्रशासन से क्षतिग्रस्त जीआई पाइपलाइन हटाकर नई पाइपलाइन डालने और नर्मदा परियोजना की पाइपलाइन की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि लोगों को नियमित और स्वच्छ पेयजल मिल सके।

वार्ड 9 में रात को पानी मिलने से परेशानी

नगर के वार्ड क्रमांक 9 में भी जलापूर्ति के समय को लेकर नागरिक परेशान हैं। वार्डवासियों का आरोप है कि नर्मदा परियोजना के तहत पिछले 12 माह से रात में ही पानी की सप्लाई की जा रही है। कभी शाम 7 बजे तो कभी रात 8 से 9 बजे के बीच पानी छोड़ा जाता है। कई बार दो दिन के अंतराल से भी सप्लाई होती है। लोगों का कहना है कि रात के समय खाना बनाने और अन्य घरेलू कार्यों के बीच पानी भरने में परेशानी होती है। दीपावली नजदीक होने के कारण घरों में साफ-सफाई, रंग-रोगन और पुताई का काम चल रहा है। ऐसे में दिन के समय पानी की अधिक आवश्यकता है। नागरिकों ने नगर परिषद और संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। वार्डवासियों ने मांग की है कि जलापूर्ति का समय निर्धारित कर दिन में पानी दिया जाए, जिससे घरेलू कार्यों में परेशानी न हो। इस संबंध में एसडीएम तेंदूखेड़ा सीजी गोस्वामी से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं होने के कारण उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका। वार्डवासियों ने प्रशासन से दोनों वार्डों की पेयजल समस्याओं का स्थायी समाधान कराने की मांग की है।

टोकन के नाम पर वसूली की शिकायतों पर सख्ती, रजिस्ट्री लेखन शुल्क 1,000 निर्धारित

फर्जी रजिस्ट्री और लापरवाही पर प्रशासन की कार्रवाई, दो उप-पंजीयक निलंबित

हरिभूमि न्यूज ⏭ दमोह

जिले के पंजीयन कार्यालयों में अनियमितताओं, फर्जी रजिस्ट्री और आम नागरिकों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही पाए जाने पर उप-पंजीयक विमल कुमार साहू और ज्योति पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने स्पष्ट किया कि अनियमितताओं में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर के अनुसार, आकस्मिक निरीक्षण और एसडीएम की जांच रिपोर्ट में कई गंभीर मामले सामने आए हैं। शिकायतें मिली थीं कि जमीन का वास्तविक स्वामी कोई और होने के बावजूद रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कर दी जाती है। इसके अलावा, पंजीयन कार्यालयों में बाहरी व्यक्तियों की भूमिका और टोकन के नाम पर लोगों को परेशान कर राशि वसूलने की शिकायतें भी सामने आई थीं।

महिला की जमीन पुरुष द्वारा बेचने का मामला

जांच में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसमें जमीन महिला के नाम पर थी, लेकिन उसकी बिक्री पुरुष द्वारा की गई। कलेक्टर ने कहा कि ऐसी स्थिति में संबंधित उप-पंजीयक का दायित्व था कि दस्तावेजों और विक्रेता के अधिकारों की समुचित जांच की जाती। प्रथम दृष्टया आवश्यक जांच किए बिना रजिस्ट्री किए जाने को गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। एक अन्य मामले में जबेरा उप-पंजीयक के कार्यक्षेत्र के गांव की जमीन की रजिस्ट्री बटियागढ़ में जबेरा के पोर्टल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर किए जाने की बात सामने आई है। कलेक्टर ने कहा कि मामले की जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

रजिस्ट्री लेखन शुल्क एक हजार अतिरिक्त राशि न दें

कलेक्टर यादव ने जिला पंजीयक और सभी उप-पंजीयकों को निर्देश दिए हैं कि कार्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित शुल्क की जानकारी नोटिस बोर्ड पर लगाने के साथ दीवारों पर भी प्रदर्शित की जाए। इससे नागरिकों को निर्धारित शुल्क की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।

उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री लेखन के लिए 1,000 रूपये शुल्क निर्धारित है। इसके अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क, पंचायत उपकर और अन्य लागू शुल्क का विवरण रजिस्ट्री के प्रथम पृष्ठ पर अंकित रहता है। नागरिक इसी विवरण के अनुसार राशि का भुगतान करें और किसी को भी अनावश्यक अतिरिक्त राशि न दें।

शिकायत के लिए प्रदर्शित होंगे संपर्क नंबर

कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की कि पंजीयन कार्यालय में कोई व्यक्ति निर्धारित शुल्क से अधिक राशि मांगे, टोकन के नाम पर परेशान करे या अनावश्यक वसूली करे, तो स्थापित कंट्रोल रूम नंबर पर शिकायत करें। संबंधित एसडीएम और जिला पंजीयक के संपर्क नंबर भी कार्यालयों में प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि नागरिक सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।

उन्होंने कहा कि शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने या अनुचित राशि मांगने की स्थिति में नागरिक कलेक्टर के फेसबुक पेज पर कमेंट के माध्यम से भी प्रशासन को जानकारी दे सकते हैं। प्राप्त शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना, नागरिकों को अनावश्यक परेशानी से बचाना और अनियमितताओं पर प्रभावी कार्रवाई करना प्रशासन की प्राथमिकता है

दमोह में पदस्थ वाणिज्यिक कर अधिकारी के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई

हरिभूमि न्यूज ⏭ दमोह

जिले में पदस्थ वाणिज्यिक कर अधिकारी मनीष कुमार जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। मंगलवार सुबह 27 अक्टूबर को लोकायुक्त की टीम ने जबलपुर स्थित उनके आवास पर छापा मारकर जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान अधिकारी की आय, व्यय और संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले के अनुसार अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। निरीक्षक बृजमोहन सिंह नरवरिया द्वारा शिकायत का सत्यापन किया गया। प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(बी) एवं 13(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। लोकायुक्त की प्रारंभिक जांच में अधिकारी की ज्ञात आय की तुलना में अधिक व्यय सामने आया है। जांच एजेंसी के अनुसार, आय और व्यय के बीच अंतर की पड़ताल की जा रही है। अधिकारी की संपत्तियों के वास्तविक मूल्य, आय के स्रोत और संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना बाकी है।

संपत्तियों और दस्तावेजों की जांच जारी

लोकायुक्त पुलिस अधिकारी से संबंधित संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन के दस्तावेजों की जांच कर रही है। कार्रवाई के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं। इनमें उप पुलिस अधीक्षक नीतू त्रिपाठी, उप पुलिस अधीक्षक रेखा प्रजापति सहित निरीक्षक बृजमोहन सिंह नरवरिया, राहुल गजभिये, शशि मस्कुले, जितेंद्र यादव, विजय बिष्ट और निरीक्षक रजनी तिवारी सहित अन्य सदस्य शामिल हैं। फिलहाल जांच जारी है। संपत्तियों के मूल्यांकन और आय के स्रोतों के सत्यापन के बाद ही मामले में वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पतलौनी में नौ स्वरूपों में विराजीं मां शारदा को पूर्णिमा पर शोभायात्रा के साथ दी विदाई

हरिभूमि न्यूज ⏭ तेजगढ

ग्राम पतलौनी स्थित प्राचीन मां शारदा माता मंदिर एवं मां चंडी टोरिया परिसर में नवरात्रि पर्व पर भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहां एक ही भव्य पंडाल में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की प्रतिमाएं विराजमान की गईं। यजमानों द्वारा विधि-विधान से सामूहिक पूजन किया गया, जो पूर्णिमा तक जारी रहा।

नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन शाम को देवी मंत्रों के उच्चारण के साथ पूजन-अर्चना और महाआरती का आयोजन किया गया। पं. राजू दुबे, पं. राजेंद्र दुबे, पं. अरुण दुबे, पं. जितेंद्र दुबे, पं. चिल्लू दुबे, पं. वीरेंद्र दुबे और पं. निशांत दुबे ने धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। रात्रि में भक्ति जागरण का आयोजन भी





हुआ। सोमवार को नौ स्वरूपों में विराजमान माता की प्रतिमाओं को नौ अलग-अलग ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में सजाकर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। ढोल-नगाड़ों और डीजे की गूंज के बीच शोभायात्रा ग्राम के मुख्य मार्गों से होती हुई मां शारदा मंदिर पहुंची और फिर चंडी टोरिया परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभायात्रा के दौरान अखाड़े के बालकों ने शेरवानी नृत्य के साथ लाठी और चक्र घुमाने के रोमांचक करतब दिखाए, जिन्हें देखकर उपस्थित जनसमूह मंत्रमुग्ध हो गया।

वहीं, ग्राम की प्रसिद्ध राधा-कृष्ण नाटक कंपनी के कलाकारों ने अंतिम दिन अमर सिंह राठौर नाटक का शानदार मंचन किया। धार्मिक आयोजनों में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आज

पटेरा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पटेरा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आज बुधवार को दोपहर 2 बजे पड़री तिराहा स्थित ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में जिला कांग्रेस प्रभारी पूर्व मंत्री हर्ष यादव, जिला अध्यक्ष मानक पटैल सहित अनेक कांग्रेस नेता शामिल हो रहे है। बैठक में आगामी एक नवंबर को 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान के तहत आयोजित होने वाली रैली में सहभागिता और उसकी तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नंदे चौरसिया ने बताया कि बैठक में हिंडोरिया नगर सहित आसपास के ग्रामों के कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। बैठक में मंडलम, सेक्टर, विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवादल के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्षद, पूर्व पार्षद, पूर्व प्रत्याशी तथा आगामी चुनावों की तैयारी कर रहे कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने की अपील की है।

सोशल मीडिया पर छवि धूमिल करने वाले आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल



दमोह। भगवती मानव कल्याण संगठन के संचालक संस्थापक परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के ऊपर सोशल मीडिया पर एफआईआर के माध्यम से गलत तरीके से फोटो वनाकर शेयर करने वाले युवक को महंगा पड़ गया आपको बता दें दमोह तहसील के ग्राम माराहार निवासी दिनेश दास पटेल के द्वारा सोशल मीडिया पर श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की छवि को गलत तरीके से एडिट करके सोशल मीडिया पर प्रेषित किया गया जिसको लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा दमोह के कार्यकर्ताओं ने देहात थाना पुलिस में आरोपी के खिलाफ आवेदन दिया जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हुए तत्काल हिरासत में लेकर सिविल कोर्ट एसडीएम के समक्ष पेश किया जहां से एसडीएम के द्वारा आरोपी को तत्काल जेल भेज दिया है संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया की आरोपी ने तथ्यहीन जानकारी सोशल मीडिया पर प्रेषित की थी जिसके कारण उसे आज जेल जाना पड़ा एवं युवाओं से आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की तथ्यहीन जानकारी सोशल मीडिया पर प्रेषित ना करें।

बिजली कटौती से भड़के किसान, दमोह-हटा मार्ग पर चक्काजाम, आंकखेड़ा में एक घंटे प्रदर्शन

10 घंटे बिजली आपूर्ति के आश्वासन पर खुला जाम

हरिभूमि न्यूज ⏭ दमोह

पिछले 15 दिनों से जारी अघोषित बिजली कटौती से परेशान किसानों का मंगलवार को गुस्सा फूट पड़ा। बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने दमोह-हटा मार्ग पर आंकखेड़ा गांव के पास चक्काजाम कर दिया। वहीं, हटा ब्लॉक के मड़ियादो में भी किसानों ने बिजली सब-स्टेशन का घेराव कर प्रदर्शन किया।

3-4 घंटे बिजली मिलने से सिंचाई प्रभावित

ग्रामीणों के अनुसार, क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से अनियमित बिजली कटौती हो रही है। दिनभर में



मुश्किल से तीन से चार घंटे बिजली मिलने के कारण रबी सीजन की फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। किसानों ने बताया कि समय पर पानी नहीं मिलने से फसलें सूखने की कगार पर पहुंच रही हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नियमित बिजली आपूर्ति की मांग की।

सड़क पर वाहनों की लगी कतारें

मंगलवार सुबह करीब 11 बजे शुरू हुए चक्काजाम के कारण दमोह-हटा मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यात्री बसों, ट्रकों और दोपहिया वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। सूचना मिलने पर देहात थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि, ग्रामीण कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे।

10 घंटे बिजली देने का आश्वासन

प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर दमोह एसडीएम संजय दुबे, हटा विद्युत विभाग के सहायक अभियंता प्रशांत खरे और कनिष्ठ अभियंता जमुना प्रजापति मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं। सहायक अभियंता प्रशांत खरे ने कृषि कार्य के लिए प्राथमिकता के आधार पर 10 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने तथा ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने के प्रयास का आश्वासन दिया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद दोपहर करीब 12 बजे ग्रामीणों ने चक्काजाम समाप्त कर दिया, जिसके बाद मार्ग पर यातायात बहाल हो सका।

मड़ियादो में भी किसानों का प्रदर्शन

इधर, मड़ियादो क्षेत्र में बिजली संकट से परेशान किसान और ग्रामीण बिजली सब-स्टेशन पहुंचे और कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। उन्होंने निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग करते हुए चेतावनी दी कि समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।

तेंदूखेड़ा पुलिस ने आठ वारंट किए तामील

तेंदूखेड़ा। थाना पुलिस ने लंबित वारंटों की तामील के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार, 27 अक्टूबर को कार्रवाई करते हुए कुल 8 वारंट तामील किए। इनमें 4 स्थाई और 4 गिरफ्तारी वारंट शामिल हैं।पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों पर वारंटियों की तलाश कर नियमानुसार गिरफ्तारी करते हुए वारंट तामील की कार्रवाई की। यह कार्रवाई थाना प्रभारी सरोज सिंह ठाकुर के नेतृत्व में तेंदूखेड़ा पुलिस स्टाफ द्वारा की गई।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लंबित वारंटों की तामील के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। फरार वारंटियों की तलाश कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आमजन से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

व्रत की तैयारी में जुटी सुहागिन महिलाएं,

करवा चौथ कल : बाजार में खरीदारी के लिए छाई रौनक

सोलह श्रंगार और पूजन सामग्रियों की बड़ी डिमांड

हरिभूमि न्यूज ⏭ हटा

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाए जाने वाले करवा चौथ को लेकर अभी से बाजारों में भारी रौनक देखी जा रही है। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर कल गुरुवार को रखा जाएगा, जिसे लेकर सुहागिन महिलाओं में खासा उत्साह है। पति की दीर्घायु और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखे जाने वाले इस निर्जला व्रत से पहले महिलाओं ने अपने सोलह श्रृंगार और पूजा सामग्री की जमकर खरीदारी शुरू कर दी है। त्योहार के मद्देनजर हटा शहर के बड़ा बाजार पुत्री शाला मार्केट से लेकर स्थानीय बाजार पर पूजा-श्रृंगार की दुकानें पूरी तरह सज चुकी हैं। साड़ी शो-रूम, ज्वेलरी शॉप, कॉस्मेटिक स्टोर्स और पूजा सामग्री की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है।



दुकानदारों का कहना है कि त्योहार के कारण व्यापार में भारी उछाल आया है और वे महिलाओं की पसंद के अनुसार एक से बढ़कर एक नए कलेक्शन डिमांड के मुताबिक उपलब्ध करा रहे हैं। बालिका वधू साड़ी कलेक्शन हाउस के संचालक ने बताया कि पारंपरिक परिधान और साड़ियां में करवा चौथ पर पारंपरिक लाल, मैरून और सुनहरे रंगों की सूरत और बनारसी साड़ियों की भारी मांग है।

छलनी व करवे का महत्व

मान्यता है कि छलनी से चंद्र दर्शन प्रेम की पवित्रता और पति की दीर्घायु की कामना का प्रतीक है। मिट्टी के करवे से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा के बाद करवे में चावल, दाल और सुहाग सामग्री रखकर सास को भेंट करने की परंपरा भी है। पंडित शास्त्री के अनुसार, करवा चौथ केवल उपवास नहीं, बल्कि पति-पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण का पर्व है। इस दिन माता गौरी की पूजा कर महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन की कामना करती हैं।

मोतियों से सजी डिजाइनर पूजा थाली व छलनी खास

शहर के फैंसी स्टोर्स व बाजार में सुहाग की निशानी मानी जाने वाली लाल व हरी चूड़ियों के अलावा राजस्थान की प्रसिद्ध लाख की चूड़ियों, कुंदन कंगन और वेलवेट चूड़ियों के सेट की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं पूजा सामग्रियों में पूजा के लिए जरूरी माने जाने वाले मिट्टी के करवे, छलनी, कांसे के दीये और सींक की बिक्री काफी तेज है। इसके अलावा बाजारों में ओटा-पट्टी और मोतियों से सजी खूबसूरत डिजाइनर पूजा थाली सेट्स भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। अखंड सौभाग्य की कामना से जुड़े इस पर्व में सिंदूर, बिंदी, काजल, महावर, बिछिया, पायल, बाजूबंद और मेहंदी जैसे सोलह श्रृंगार के सामान की खरीदारी जोरों पर है।

संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत

दमोह। जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र के भदौली गांव में सर्दी-जुकाम का इलाज कराने गई 45 वर्षीय महिला फूलरानी पति दौलत पटेल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने गांव के ही एक झोलाछाप डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने संबंधित डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है फूलरानी पटेल को सर्दी-जुकाम की शिकायत थी। परिजन चूरामन पटेल के मुताबिक रविवार को महिला गांव के ही गोलू पटेल नामक डॉक्टर के पास इलाज कराने गई थीं। आरोप है कि वहां उन्हें दवाइयां देने के साथ इंजेक्शन भी लगाया गया। घर लौटने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी।परिजनों का कहना है कि शाम को जब वे दोबारा संबंधित डॉक्टर के पास पहुंचे तो महिला की हालत गंभीर बताते हुए उन्हें जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। इसके बाद परिजन फूलरानी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत से परिजनों में शोक का माहौल है।

स्टेशन पर ट्रेन से यात्री फिसला



दमोह। कामायनी एक्सप्रेस से अपने घर यूपी जा रहे यात्री के साथ दमोह रेल्वे स्टेशन पर पानी पीने के लिए ट्रेन से उतरते समय दोनों पैर फिसल जाने से वह ट्रेन के नीचे फंस गया, जिससे उसके पैर पूरी तरह कटकर अलग हो गय और दूसरे पैर में गंभीर चोट आई। घटना सोमवार सुबह करीब 11 बजे की है। यात्री दमोह स्टेशन पर ट्रेन से उतरने का प्रयास कर रहा था, तभी अचानक पैर फिसला और वह ट्रैक में फंस गया। हादसे के बाद यात्री घटनास्थल पर तड़पता रहा। बाद में आरपीएफ जवान अनिल यादव, एएसआई बीएल चौधरी, आरक्षक अशोक और जीआरपी चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर जुम्मन शेख ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल की पहचान संजय कुमार मिश्रा पिता केशवराव, निवासी रईयापुर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जबलपुर रेफर कर दिया है।

जनजाति विभाग के अंशकालीन कर्मचारियों का दीपावली से पहले होगा भुगतान

दमोह। मध्यप्रदेश स्थाई कर्मी कल्याण संघ के प्रांतीय अध्यक्ष शारदा सिंह परिहार के अथक प्रयासों एवं सतत सहयोग से संघ को बड़ी सफलता मिली है। जनजातीय कार्य विभाग जिला दमोह अंतर्गत छात्रावासों में पदस्थ अंशकालीन कर्मचारियों के 8 माह के लंबित वेतन को लेकर जिला अध्यक्ष बबलू ठाकुर एवं जिला कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों द्वारा कई बार कलेक्टर महोदय एवं जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं प्रांतीय अध्यक्ष शारदा सिंह परिहार जी द्वारा जनजाति आयुक्त, भोपाल को भी ज्ञापन दिया गया। जिसके परिणामस्वरूप जनजातीय कार्य विभाग दमोह के लिए 55 लाख 30 हजार रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है। यह बजट छात्रावासों में पदस्थ अंशकालीन कर्मचारियों के 8 माह के लंबित वेतन के लिए है। दीपावली पर्व से पूर्व सभी का भुगतान हो जाएगा, अब कर्मचारी दीपावली अच्छे से मना सकेंगे। इस सफलता पर सभी कर्मचारियों ने प्रांतीय अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। जिला अध्यक्ष बबलू ठाकुर का आग्रह- दमोह जिला अध्यक्ष बबलू ठाकुर ने प्रांतीय अध्यक्ष शारदा सिंह परिहार जी से आग्रह किया है कि दमोह जिले के छात्रावासों में पदस्थ अंशकालीन कर्मचारियों को वर्तमान में मात्र 5000 रुपये मानदेय मिलता है। सभी को कलेक्टर रेट 12,575 रुपये दिलाने का कष्ट करें, जिससे उनका भरण-पोषण अच्छे से हो सके। संघ का अनुरोध- मध्य प्रदेश स्थाई कर्मी कल्याण संघ समस्त विभागों के जिला अधिकारियों से अनुरोध करता है कि दीपावली पर्व से पूर्व सभी कर्मचारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।